

FORM NO.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत :- जिला कलेक्टर पाली

अपीलांट:- कालूसिंह पुत्र नाथूसिंह निवासी कालाकोट,
पोस्ट- काबलकलां, तहसील रायपुर जिला
पाली

बनाम **म.टी. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) रायपुर जिला**
पाली

रेस्पोंडेन्ट :-

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 08/2019
R.C.M.S. No. --2019/00
अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24/4/19	<p>अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) रायपुर द्वारा खसरा नम्बर 271 व 274 पर अतिक्रमण नहीं होना बताया है तथा अन्य खसराओं के संबंध में गलत सूचना उपलब्ध करावाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपीलाण्ट व रेस्पोंडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 31/5/19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर, पाली</p>	<p>513-14 25/4/19</p>
3/5/19	<p>तहसीलदार रायपुर द्वारा जो पालना रिपोर्ट ब्याबत सूचना प्रेषित की है उसके 4 बिन्दु वर्णित है जबकि अपीलाण्टी द्वारा सूचना हेतु दिए गए फार्म पर 8 बिन्दु से 1 से 8 तक सूचना चाही की सूचना कपूज है पूरा सूचना उपलब्ध कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु तह रायपुर को तिरवा जाकर फायवली दिनांक 29/5/19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर, पाली</p>	
29/5/19	<p>अपीलांट द्वारा यह अपील u/s 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत करते हुए अपीलांट द्वारा प्रेषित फार्म में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रायपुर से उपलब्ध कराते हेतु निवेदन कराते हेतु निवेदन किया गया है अपीलांट द्वारा इसी आशय की एक अपील 4/2019 भी प्रस्तुत की गई। लोक सूचना अधिकारी (TDE) रायपुर से जबाब तलब कराया प्रस्तुत जरिये पत्रांक 134 दिनांक 6-5-2019 के प्रेषित किया जिसके अनुसार अपीलांट को वर्णित सूचना बिन्दुवार उपलब्ध करा की गई है। अपील को अपील निस्त कराते का भी निवेदन किया अपील के लेनांक लोक सूचना अधिकारी द्वारा बिन्दु नं. 1 से 8 तक</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर, पाली</p>	<p>753 कैलाश</p>

विद्युत् सूचना रिजर्वेशन बाबत फॉर्म 54 डि 0/3/19
की प्रति भी प्रेषित की है।

लो० ए० अधिकारी (TDR) राष्ट्रपुत्र के
पत्रों की प्रतियां अपीलेंट को प्रेषित की जावे।
सूचना उपलब्ध करावे। से इस अपील में किसी
प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से
यह अपील drop की जाती है।

पत्राचार शुभार फंडस की
जाकर गमबा से कम है।

जिला कलेक्टर, पाली